राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, राजस्थान, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या, अपीलार्थी का नाम एवं पदनाम	प्रत्यर्थीगण का नाम	प्रस्तुतिकरण की दिनांक	अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी विभाग की ओर से उपस्थित अभिभाषक/अधिवक्ता का नाम
1.	291/2017 सूर्यनारायण दीक्षित	1. शासन सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक कृषि, पंत कृषि भवन, सी–स्कीम, जयपुर।	17.02.2017	श्री लक्ष्मीकांत शर्मा की तरफ से स्वपन सिंह, अभिभाषक एवं डॉ. पुष्पेन्द्र पाल सिंह, राजकीय अधिवक्ता
2.	293/2017 घनश्याम शर्मा			
3.	585/2017 जगमोहन कटेवा		21.03.2017	
4.	888/2018 सत्यनारायण पाराशर		31.05.2018	
5.	889/2018 ललित कुमार चाष्टा			
6.	890/2018 ललित कुमार शर्मा			
7.	891/2018 प्रहलाद राय सारस्वत			
8.	892/2018 सुरेन्द्र कुमार वैष्णव			
9.	893/2018 पीयुष प्रकाश त्रिवेदी			
10.	894/2018 मुकेश कुमार शर्मा			
11.	895/2018 हरि प्रसाद रैगर			
12.	897/2018 अनिल कुमार तिवारी			
13.	900/2018 भूरालाल रैगर			
14.	2745/2018 हरलाल सिंह चौधरी		02.08.2018	

आदेश की दिनांक : 29.10.2024

समक्ष :– **शुचि शर्मा, सदस्य**
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

उपर्युक्त तालिका में वर्णित समस्त अपीलों की तथ्यात्मक स्थिति समान प्रकार की है और इनमें निहित विधि का प्रश्न भी समान है। अतः इन समस्त अपीलों को इस एकल आदेश द्वारा निस्तारित किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि

से अपील संख्या 291/2017 सूर्यनारायण दीक्षित बनाम शासन सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य के तथ्य विवेचित किये जा रहे हैं।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी के पुनरीक्षित वेतनमान के तहत चयनित वेतनमान को पुनरीक्षित करते हुये जो प्रथम चयनित वेतनमान 5500–9000, द्वितीय चयनित वेतनमान 8000–13500 एवं तृतीय चयनित वेतनमान 15600–39000 ग्रेड पे 6000 का लाभ एवं समस्त पारिणामिक लाभ भी प्रदान किये जावे और अपीलार्थी को शेष राशि पर 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित भुगतान किया जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी कृषि में डिग्रीधारी है और योग्यतानुसार अपीलार्थी ने कृषि पर्यवेक्षक पद के लिये आवेदन किया तथा आदेश दिनांक 22.08.1977 के द्वारा कृषि पर्यवेक्षक के पद पर नियुक्त हुआ। अपीलार्थी की प्रारंभ से नियमित नियुक्ति रही है और उसकी सेवायें राजस्थान कृषि अधीनस्थ सेवा नियम 1978 के अंतर्गत नियंत्रित है। उनका कथन है कि पूर्व में कई कार्मिक अलग–अलग वर्ग में नियुक्त हुये हैं, जैसे फील्ड मैन, गार्डन सुपरवाईजर, ग्रेप प्रोनर, विलेज एक्सटेंशन वर्कर। उक्त पद वर्ष 1977 में थे परंतु उन्हें पुनः बदलते हुये कृषि पर्यवेक्षक जो वेतनमान 355–577 में किया गया और इसी तरह सहायक कृषि अधिकारी के पद को भी परिपत्र दिनांक 20.04.1977 के द्वारा रिडेजिनेटिग किया गया, जो अभ्यर्थी कृषि में स्नातक थे उन्हें उस समय वेतनमान 550–1010 में निर्धारित किया गया और स्नातक नहीं थे उन्हें वेतनमान 470–830 में निर्धारित किया गया और इस प्रकार प्रावधानानुसार कृषि में स्नातकधारी कृषि पर्यवेक्षक 10 अतिरिक्त वेतन वृद्धि के हकदार थे तथा 5वें वेतन आयोग के अनुसार कृषि पर्यवेक्षक का वेतन 3050 प्रतिमाह था और स्नातकधारी का प्रारंभिक वेतनमान 3800 प्रतिमाह था। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.01.1992 के अनुसार वेतनमान 3050–4590 और 9 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर 5500–9000 के हकदार हो गये और इस प्रकार 18 वर्ष की सेवा पर द्वितीय चयनित वेतनमान के अनुसार 8000–13500 तथा तृतीय चयनित वेतनमान के

अनुसार वेतनमान 15600–39000 ग्रेड पे 6000 के हकदार हुये। उनका कथन है कि वेतनमान 6500–10500 का कोई पद नहीं है क्योंकि अगली पदोन्नति कृषि पर्यवेक्षक से सहायक कृषि अधिकारी की है और उससे अंतरिम पदोन्नति कृषि अधिकारी की है, जिसका वेतनमान 8000–13500 है और इस प्रकार 6500–10500 वेतनमान का कोई पद नहीं है। उनका कथन है कि जो अभ्यर्थी पदोन्नति पाते हैं उन्हें सहायक कृषि अधिकारी पर वेतनमान 8000–13500 मिलेगा और जिन अभ्यर्थियों को पदोन्नति नहीं मिलती है, उन्हें सीमित समय का चयनित वेतनमान का लाभ वेतनमान 6500–10500 प्राप्त करते हैं और इस प्रकार तकनीकी स्टाफ में इस तरह का कोई वेतनमान नहीं है और न ही उक्त वेतनमान का कोई पद है। इसी प्रकार कृषि पर्यवेक्षक 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर तृतीय चयनित वेतनमान के हकदार है, जो कि सहायक निदेशक का वेतनमान है और उक्त पद पदोन्नति आधार पर भरा जाता है और जिसका वेतनमान 15600–39000 ग्रेड पे 6000 है। परंतु जिन अभ्यर्थियों को पदोन्नति का लाभ नहीं दिया गया है, उन्हें टाइम बाउंड चयनित वेतनमान जो 27 वर्ष की सेवा पूर्ण होगी, उन्हें वेतनमान 8000–13500 में फिक्स किया जायेगा और जो सहायक निदेशक के पद पर पदोन्नत हुये वे वेतनमान 15600–39000 प्राप्त करेंगे, जो न्यायपूर्ण एवं नियम विरूद्ध है। इस प्रकार अपीलार्थी के साथ भी प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अनुचित व अन्याय किया जा रहा है, जो नियम एवं विधि के विपरीत है। इसी मामले के समान वाले मामले में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 2156/2007 श्रीमती मंजू रानी नधेरिया व अन्य बनाम राज्य व अन्य एवं 10 अन्य रिट याचिकाओं में पारित आदेश दिनांक 05.03.2010 में भी माननीय उच्च न्यायालय ने उक्तानुसार वेतन विसंगति को अनुचित माना है। उक्त मामले के आधार पर अपीलार्थी भी उचित वेतनमान पाने का हकदार है। परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को उक्त लाभों से वंचित रखा गया, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने अपने विद्वान् अधिवक्ता द्वारा न्याय की मांग का नोटिस प्रत्यर्थी विभाग को प्रेषित कर अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुये प्रार्थना की है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी के पुनरीक्षित वेतनमान के तहत चयनित वेतनमान को पुनरीक्षित करते हुये जो प्रथम चयनित वेतनमान 5500–9000, द्वितीय चयनित वेतनमान 8000–13500 एवं तृतीय चयनित वेतनमान 15600–39000 ग्रेड पे 6000 का लाभ एवं समस्त पारिणामिक

लाभ भी प्रदान किये जावे और अपीलार्थी को शेष राशि पर 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित भुगतान किया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुये यह प्रतिवाद किया है कि कृषि स्नातकधारी कृषि पर्यवक्षकों की नियुक्ति के समय देय प्रारंभिक वेतनमान में 10 वार्षिक वेतन वृद्धियां स्वीकार करने का प्रावधान था और नियमों के अनुसार अपीलार्थी को लाभ दिया गया है तथा राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) 1998 के नियम 13 को राज्य सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 06.05.2002 से समाप्त कर दिया गया है और नियम 13 के परिशिष्ठ 4 के अनुसार कृषि पर्यवेक्षक जो डिग्रीधारी हो को वेतन श्रृंखला 3050–4590 में प्रारंभिक उच्चतर वेतन 3800 दिया जाता है और चयनित वेतनमान 5500–9000 में उच्चतर वेतन या 10 अग्रिम वेतन वृद्धि देने का प्रावधान नहीं था। वर्तमान उच्चतर वेतन/अग्रिम वेतन वृद्धियां स्वीकृत करने का प्रावधान दिनांक 06.05.2002 से राज्य सरकार द्वारा समाप्त कर दिया गया है। वित्त विभाग के आदेश दिनांक 17.02.1998 के बिंदु संख्या 4(ii) एवं बिंदु संख्या 5 के अनुसरण में कृषि पर्यवेक्षकों को (पदोन्नति की योग्यताधारी) को द्वितीय चयनित वेतनमान 6500–10500 स्वीकृत किया गया है। कृषि पर्यवेक्षक एवं सहायक कृषि अधिकारी का पद कृषि अधीनस्थ सेवा का पद है और पदोन्नति पर कृषि अधिकारी (राज्य सेवा) समान सेवा/संवर्ग में नहीं होने के कारण उक्त आदेश दिनांक 17.02.1998 के बिंदु संख्या 5 के अनुसार 6500–10500 स्वीकृत की जाती है जो नियमानुसार है। वित्त विभाग के आदेश दिनांक 17.02.1998 के बिंदु संख्या 4(iii) एवं बिंदु संख्या 5 के अनुसरण में कृषि पर्यवेक्षकों को (पदोन्नति की योग्यताधारी) को तृतीय चयनित वेतनमान 8000–13500 स्वीकृत किया गया है जबकि कृषि पर्यवेक्षक एवं सहायक कृषि अधिकारी का पद कृषि अधीनस्थ सेवा का पद है और इस कारण पदोन्नति पर समान सेवा/संवर्ग में नहीं होने के कारण उक्त आदेश के बिंदु संख्या 5 के अनुसार 8000–13500 स्वीकृत की जाती है जो नियमानुसान है और इस प्रकार अपीलार्थी किसी प्रकार का कोई लाभ पाने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष की बहस को ध्यानपूर्वक सुना एवं पत्रावलियों पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थीगण की नियुक्ति वर्ष 1977 में की गई थी। इस प्रकार उन्हें प्रथम चयनित वेतनमान वर्ष 1986 में देय हो गया था। उस समय चयनित वेतनमान स्वीकृत करने के सम्बन्ध में वित्त विभाग का आदेश क्रमांक एफ.20 (1) एफ.डी. (ग्रुप–2)/92 दिनांक 25.01.1992 प्रवर्तित था। इसी प्रकार अपीलार्थीगण को द्वित्तीय चयनित वेतनमान वर्ष 1995 में देय हो गया था। तत्समय वित्त विभाग का आदेश क्रमांक एफ. 16(2) एफ. डी. (रूल्स)/98 दिनांक 17.02.1998 प्रभावी था। वर्ष 1992 और वर्ष 1998 के उक्त आदेशों में यह प्रावधान किये गये थे कि प्रथम चयनित वेतनमान उसी सेवा/संवर्ग में आगामी पदोन्नति के पद का वेतनमान होगा। इसी प्रकार यह प्रावधान भी था कि द्वितीय और तृतीय चयनित वेतनमान उसी सेवा/संवर्ग में उपलब्ध क्रमशः द्वितीय और तृतीय पदोन्नति के पद का वेतनमान होगा, बशर्ते उसी सेवा/संवर्ग में उपलब्ध तृतीय पदोन्नति पद का वेतनमान 2200–4000 हो तो चयनित वेतनमान उक्त आदेशों के अनुच्छेद 5 में दिये गये प्रावधान के अनुसार देय होगा। अपीलार्थीगण को तृतीय चयनित वेतनमान वर्ष 2004 में देय होता है और राज्य सरकार द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 2008 प्रचलित किये गए थे। उक्त नियमों के नियम 19 (5) में यह प्रावधान है कि ऐसे सरकारी कर्मचारी जिन्होंने दो चयन ग्रेडों/दो पदोन्नतियों/एक पदोन्नति और एक चयन ग्रेड, जैसी भी स्थिति हो, का फायदा ले लिया है तो 27 वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने पर तृतीय ए.सी.पी. के लिए पात्र होंगे। उपरोक्त तालिका में अंकित समस्त अपीलार्थीगण की नियुक्ति वर्ष एवं प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय एसीपी देय वर्ष निम्नलिखित है :–

क्र. सं.	नाम	नियुक्ति वर्ष	प्रथम एसीपी	द्वितीय एसीपी	तृतीय एसीपी
1.	सूर्यनारायण दीक्षित	1977	1986	1994	2003
2.	घनश्याम शर्मा	1993	2002	2011	2019
3.	जगमोहन कटेवा	1983	1992	2001	2010
4.	सत्यनारायण पाराशर	1980	1989	1998	2007
5.	ललित कुमार चाष्टा	1983	1992	2001	2010
6.	ललित कुमार शर्मा	1993	2002	2011	2020
7.	प्रहलाद राय सारस्वत	1993	2002	2011	2020
8.	सुरेन्द्र कुमार वैष्णव	1993	2002	2011	2020
9.	पीयुष प्रकाश त्रिवेदी	1993	2002	2011	2020
10.	मुकेश कुमार शर्मा	1993	2002	2011	2020
11.	हरि प्रसाद रैगर	1993	2002	2011	2020

12.	अनिल कुमार तिवारी	1993	2002	2011	2020
13.	भूरालाल रैगर	1993	2002	2011	2020
14.	हरलाल सिंह चौधरी	1993	2002	2011	2020

राज्य सरकार के अनुसार कृषि विभाग में कृषि पर्यवेक्षक, सहायक कृषि अधिकारी, कृषि अधिकारी एवं सहायक निदेशक कृषि के वेतनमान वर्ष 1976, वर्ष 1983, वर्ष 1987, वर्ष 1989, वर्ष 1998 एवं वर्ष 2008 में निम्न प्रकार थे :–

पद का नाम	वर्ष					
	1976	1983	1987	1989	1998	2008
कृषि पर्यवेक्षक (अधीनस्थ सेवा)	355–570 (वेतनमान संख्या 7)	490–840	880–1680	950–1680	3050–4590	5200–20200 (P.B.1 & Grade Pay 1900)
सहायक कृषि अधिकारी (अधीनस्थ सेवा)	550–1010 (वेतनमान संख्या 15)	640–1180	1160–2360	1400–2360	5000–8000	9300–34800 (P.B.2 & Grade Pay 3200)
कृषि अधिकारी (राज्य सेवा)	750–1350 (वेतनमान संख्या 19)	1000–1860 (वेतनमान संख्या 19)	1720–3350 (वेतनमान संख्या 19)	2200–4000	8000–13500	9300–34800 (P.B.2 & Grade Pay 5400)
सहायक निदेशक (राज्य सेवा)	930–1500	1210–2040	2100–3550	2500–4250	9000–14400	15600–39100 (P.B.3 & Grade Pay 6000)

''वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.14(88)एफ.डी. (रूल्स)/2008–I दिनांक 31.12.2009 प्रसारित कर अधीनस्थ सेवा के कार्मिकों को आश्वासित कैरीयर प्रगति योजना के अन्तर्गत तीन वितीय उन्नतिकरण के विषय में निम्न निर्देश दिये हैं :–

> *"(1) There shall be three financial upgradations under the ACPS, counted from the direct entry grade on completion of period of service prescribed in Rule 19 of Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 2008. Financial upgradation under the Scheme will be admissible whenever a person has spent 9 years continuously in the same grade pay.*

(2) The ACPS envisages merely placement in the immediate next higher grade pay in the hierarchy of the pay bands and grade pays as given in Section 'A' of the Schedule-I of the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 2008. Thus, the grade pay at the time of financial upgradation under the ACPS can, in certain cases where regular promotion is not between two successive grades, be different than what is available at the time of regular promotion. In such cases, the higher grade pay attached to the next promotion post in the hierarchy of the concerned cadre will be given only at the time of regular promotion."

यह स्वीकृत तथ्य है कि अपीलार्थीगण वर्ष 1977 में तत्समय वेतनमान में कार्यरत थे और उनकी सेवा का अगली पदोन्नति का पद सहायक कृषि अधिकारी का पद है जिसका पुनरीक्षित वेतनमान 5500–9000 था। कृषि पर्यवेक्षक की सेवा/सवंर्ग में द्वितीय पदोन्नति का पद नहीं है क्योंकि सहायक कृषि अधिकारी के पद से कृषि अधिकारी के पद पर ही पदोन्नति सम्भव होती है जो कि राज्य सेवा का पद है। इसी प्रकार अपीलार्थीगण की सेवा/सवंर्ग में तीसरी पदोन्नति का पद भी विद्यमान नहीं है। हमारे मत में इन तथ्यों और वित्त विभाग के वर्ष 1992, वर्ष 1998 एवं वर्ष 2009 के उपर्युक्त आदेशों के आलोक में अपीलार्थीगण को प्रथम, द्वितीय और तृतीय चयनित वेतनमान यदि पूर्व में स्वीकृत नहीं किए गए हैं तो उक्तानुसार स्वीकृत किए जाने चाहिए।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 1989 के नियम 13 में निम्न प्रावधान विद्यमान था :–

*''13. **उच्चतर प्रारम्भिक वेतन और अग्रिम वेतनवृद्धियां :–** सरकारी कर्मचारी पुनरीक्षित वेतनमानों के साथ इन नियमों की अनुसूची IV में यथा–उपबंधित उच्चतर प्रारम्भिक वेतन या अग्रिम वेतनवृद्धियां प्राप्त करने का हकदार होगा।''*

उक्त नियम 13 में संदर्भित अनुसूची IV में कृषि पर्यवेक्षकों के लिए निम्न प्रावधान किया गया था :–

क्र.सं.	पद का नाम	पुनरीक्षित वेतनमान	उच्चतर प्रारंभिक वेतन/अग्रिम वेतन वृद्धियां
1.	कृषि पर्यवेक्षक	950–1680 (6)	कृषि में डिग्री धारकों को इस वेतनमान में 1150 रूपये का उच्चतर प्रारंभिक वेतन दिया जायेगा जो व्यक्ति सेवा में रहते हुये यह डिग्री अर्जित करेगे वे भी 1150

			की उच्चतर प्रारंभिक वेतन के हकदार होगें, यदि उनके द्वारा आहरित वेतन 1150 से कम हो।

राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 1998 के समरूपी नियम 13 एवं अनुसूची IV के अनुसार कृषि पर्यवेक्षकों को कृषि स्नातक होने पर वेतनमान 3050–4590 में रूपये 3800 का उच्चतर प्रारम्भिक वेतन देने का प्रावधान किया गया था। यह स्वीकृत तथ्य है कि यह प्रावधान वर्ष 2002 में समाप्त कर दिया गया था, किन्तु हमारे मत में दिनांक 06.05.2002 के पहले जिन कृषि पर्यवेक्षकों में उच्चतर प्रारम्भिक वेतन प्राप्त करने का अधिकार निहित हो गया था, उनका वह अधिकार भूतलक्षी रूप से प्रत्याहृत नहीं किया जा सकता है। उन्हें इस प्रावधान का लाभ दिया जाना उचित होगा। अतः आदेश दिये जाते हैं कि उक्त प्रावधान के अनुसार अपीलार्थीगण को वर्ष 1989 एवं वर्ष 1998 के उपर्युक्त नियमों के अनुसार उच्चतर प्रारम्भिक वेतन स्वीकृत किया जावे और समस्त पारिणामिक लाभ भी स्वीकृत किये जावें।

उपर्युक्त विवेचन के अनुसार उक्त शीर्षक तालिका में वर्णित समस्त अपीलें स्वीकार की जाती हैं और आदेश दिये जाते हैं कि अपीलार्थीगण को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान यदि पूर्व में स्वीकृत नहीं किए गए हैं तो तत्समय प्रवृत्त नियमानुसार स्वीकृत किये जावें तथा वर्ष 1989 एवं वर्ष 1998 के पुनरीक्षित वेतनमान नियमों के अनुसार पात्र अपीलार्थीगण को उच्चतर प्रारम्भिक वेतन समस्त पारिणामिक लाभ सहिंत स्वीकृत किये जावें।

मूल आदेश अपील संख्या 291/2017 सूर्यनारायण दीक्षित बनाम शासन सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य की पत्रावली में रखा जावे एवं इस आदेश के शीर्षक की तालिका में वर्णित अन्य समस्त पत्रावलियों में इस आदेश की छाया प्रति संलग्न की जावे।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य